

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 187वीं बैठक दिनांक 12.12.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में “चिन्तन” कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों को अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड़, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाड़ी, वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे—

1. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, (II) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रेम शंकर जी वरिष्ठ नगर नियोजक, (III) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती कश्मी कौर रान, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती रिकू बंसल, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती उषा जैन, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या :-1

187 / 12.12.2012

विषय:- बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 185वीं दिनांक 26.11.12 व 186वीं बैठक दिनांक

30.11.12 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् कार्यवाही विवरणों की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या :-2

187 / 12.12.2012 (जोन-4)

विषय:- भूखण्ड संख्या 17ए योजना प्रेम नगर (हथरोई गढ़ी गृ.नि.स.समिति) का नियमन

करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि मोके की रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 17ए में भूतल व प्रथम तल पर आवासीय भवन निर्मित है जबकि स्वीकृत मानचित्र में प्रश्नगत भूखण्ड को भूखण्ड संख्या 18वीं दर्शाते हुए कोस किया गया है।

अतः स्वीकृत मानचित्र में भूखण्ड संख्या 18वी के स्थान पर भूखण्ड संख्या 17ए का अंकन किए जाकर अनुमोदन किया जावे।

एजेण्डा संख्या :-3

187 / 12.12.2012 (जोन-4)

विषय:- न्यू पिंक सिटी गृ.नि.स. समिति की सुविधा क्षेत्र की भूमि को कम्पूनिटी सेन्टर में एण्ड यूज सामुदायिक केन्द्र में करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि महावीर नगर योजना में 100 फीट चौड़ी सड़क पर भूखण्ड संख्या 259, 270, 271, 272, व 287 के सामने के सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज सामुदायिक भवन निर्धारित किया जावे तथा सामुदायिक भवन का निर्माण के उपयोगिता को देखते हुए 100 फीट सड़क की ओर की सैटबैक 20 फीट व भूसं. 259 व 270 में 272 व 287 की ओर सेटबैक शून्य रखा जावे।

एजेण्डा संख्या :-4

187 / 12.12.2012 (जोन-5)

विषय:- भूखण्ड संख्या 114 व 115 योजना शान्ति नगर (दी कृष्णा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि) के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पूर्व में बी.पी.सी.(एल.पी) की 135 वीं बैठक दिनांक 28.08.2009 में नेमी नगर विस्तार योजना में एच.टी.लाइन में प्रभावित भूखण्डों के क्षेत्र को भूखण्डों के पूर्ण क्षेत्रफल में शामिल करते हुए एच.टी. लाइन की निर्धारित सुरक्षित दूरी को भूखण्ड क्षेत्र में सेटबैक मानते हुए नियमन किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में भी एच.टी. लाइन की सुरक्षित दूरी को भूखण्ड क्षेत्र का सेटबैक माना जावे एवं इस क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण (बालकोनी, छज्जा) अनुज्ञेय नहीं किया जाकर नियमन किया जावे।

एजेण्डा संख्या :-5

187 / 12.12.2012(जोन-6)

विषय:- मोती भवन गृ.नि.स.समिति की योजना 4E आर्य नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 80वी के उपविभाजन स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तुत साक्षों के आधार भवन निर्माण 10 वर्षों से अधिक पुराने नौने के कारण भूखण्ड संख्या 80वीं के उपविभाजन को स्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा संख्या :-6

187 / 12.12.2012 (जोन-9)

विषय:- मैग्ज़स इरोज वाटिका जयपुर प्राओलि की ग्रुप हाउसिंग आवासीय योजना महिमा पनाम खसरा नं.312 से 315, 317, 319, 320, 321, ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त भूमि का आवंटन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पूर्व में जारी किये गये स्थल मानचित्र में अंकित क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि 89.48 वर्गगज या 74.81 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए स्ट्रीप ओफ लैन्ड मानते हुए आरक्षित दर की दुगनी दर से राशी ली जाकर अतिरिक्त भूमि का नियमन कर संशोधित साइट प्लान उपायुक्त जोन द्वारा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या :-7

187 / 12.12.2012 (जोन-9)

विषय:- भीमसैन गोगिया पुत्र श्री शिव दयाल गोगिया की भूमि ग्राम सांगानेर तह0 सांगानेर के खसरा नं. 3945, 3946/4911 कुल रकबा 0.19 हैक्ट. भूमि में से 0.09 हैक्ट भूमि अवाप्त किये जाने के पश्चात् शेष भूमि क्षेत्र 0.01 हैक्ट. का व्यावसायिक मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सर्वप्रथम आवेदक की भूमि में से जो सड़क विस्तार हेतु अवाप्त की गयी है उसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित निर्माण को उपायुक्त जोन स्तर से हटाया जावे जिससे प्रश्नात प्रकरण में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-1

187 / 12.12.2012 (जोन- 6)

विषय:- म्यूचवल गृ.नि.स.समिति की योजना 5-सी के संशोधित योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि मौके पर जो रास्ता इस योजना में बन्द है, उरो खुलवाया जावे तथा निदेशक नगर आयोजना व उपायुक्त जोन द्वारा मौका निरिक्षण कर, अपनी राय देवे तब तक प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने तक स्थगित रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-2

187 / 12.12.2012 (जोन- 6)

विषय:- मोती भवन गृ.नि.स.समिति की योजना 4—री भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पुनर्गठन के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तावित भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 3991.09 वर्गगज है, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान में जारी आदेशों के अनुसरण में दी गई शिथिलता को दृष्टिगत रखते जविप्रा के स्तर से पुनर्गठन स्वीकृत किया जावे।

पुनर्गठित भूखण्डों के पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010/2011के अनुसार देय होगें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-3

187 / 12.12.2012 (जोन- 7)

विषय:- भूखण्ड संख्या 49—50 योजना रत्नापुरी आदर्श गृ.नि.स. समिति के खसरा नं. 88/2 ग्राम मदरामपुरा का (ग्रुप हाउसिंग) का पुनर्गठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व में योजना रत्नापुरी योजना अजमेर रोड को 100 फीट मानते हुए स्वीकृत की गयी थी, लेकिन वर्तमान में अजमेर रोड की चौडाई मास्टर प्लान के अनुसार 160 फीट निर्धारित है इसलिए इन भूखण्डों का पुनर्गठन अजमेर रोड की चौडाई 160 फीट मानते हुए किया जावें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में स्वीकृत योजना के अनुसार अब सड़क क्षेत्राधिकार में जो भूमि समर्पित करवाई जा रही है उसका अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ भवन विनियम के प्रावधानानुसार तथा सामने का सैटबैक में शिथिलता देते हुए सामने का सैटबैक 15 फीट रखा जाकर तीनों भूखण्डों का पुनर्गठन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पुनर्गठन भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान में जारी आदेशों के अनुसरण में दी गई शिथिलता को दृष्टिगत रखते जविप्रा के स्तर से पुनर्गठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठन भूखण्डों के पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010/2011के अनुसार देय होंगे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-4


187 / 12.12.2012 (जोन-13)

विषय:- भूखण्ड संख्या जी1, जी2, जी3, जी4 योजना ए.आर.जी. पुरम के ए.आर.जी. पुरम ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों के पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या जी1, जी2, जी3, जी4 के भूखण्डों का पुर्नगठन किया जावे। पुर्नगठन भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500.00 से अधिक है, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी आदेशों के अनुसरण में दी गई शिथिलता को दृष्टिगत रखते जविप्रा के स्तर से पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे।

पुर्नगठन भूखण्डों के पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010/2011 के अनुसार देय होंगे।

बैठक संधन्यवाद समाप्त हुई।



21/12/2012


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2012 / डी - 349

दिनांक:- 21/12/2012

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्वी) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (समीक्षा) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।



21/12/2012

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।